न्यायालय संभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास राजेन्द्र सिंह शेखावत आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 37/2024/अपील/एलआरएक्ट/बारां
दायरा दिनांकः 08.04.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

राधेश्याम आत्मज स्व0 मथुरालाल जाति नायक, निवासी ग्राम भोज्याहैडी, तहसील मांगरोल, जिला बारां

...अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, मांगरोल, जिला बारां

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री जगदीश खण्डेलवाल, अभिभाषक –अपीलार्थी
पेरोकार सरकार – रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 12.05.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बारां (संक्षेप में प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 79/2018 बउनवान राधेश्याम बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 03.03.2018 से अपीलार्थी को सम्वत 2074 में वाके ग्राम भोज्याहेडी की आराजी खसरा संख्या 275 की 0.38 है0 भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 456/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। उक्त दोनों अधीनस्थ न्यायालय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत न्यायालय हाजा में इस आशय की अपील पेश की गई कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। योग्य विचारण अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मांगरोल द्वारा बिना अपीलार्थी को विधिवत तलब किये, सुनवाई का अवसर दिये बिना ही केवल पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर निर्णय दिनांक 03.03.2018 एकपक्षीय रूप से पारित कर सजायाब कर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज नहीं था। केवल पटवारी हल्का के बयानों को ही आधार मानकर उक्त दण्डादेश पारित किया गया। राजस्व रिकोर्ड में खसरा सं0 275 की भूमि बंजड़ भूमि दर्ज है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा रिकोर्ड में दर्ज बंजड़ भूमि को चारागाह भूमि बताकर उक्त अनुरूप अपना निर्णय पारित किया गया। उक्त खसरा सं0 275 की भूमि अपीलार्थी की सहखातेदारी की भूमि खसरा सं0 273, 274, 270, 272, 271 के लगवा स्थित है। अपीलार्थी अपने सहखातेदारी की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है तथा अपीलार्थी के द्वारा खसरा सं0 275 की रकबा 0.38 है0 भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा छोड़ दिया हुआ है तथा जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। इसके उपरांत भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस को लेने से मना नहीं किया गया है, तामील कुलीन्दा के द्वारा गलत अंकित कर उक्त तामील पर विश्वास कर निर्णय दिनांक 03.03.2018 पारित किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 03.03.2018 एवं 04.01.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज नहीं था। केवल पटवारी हल्का के बयानों को ही आधार मानकर उक्त दण्डादेश पारित किया गया। राजस्व रिकोर्ड में खसरा सं0 275 की भूमि बंजड़ भूमि दर्ज है तथा उक्त आराजी के लगवा अपीलार्थी अपने सहखातेदारी की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा छोड़ दिया हुआ है तथा जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार द्वारा जारी नोटिस को लेने से मना नहीं किया गया है। अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय दिनांक 03.03.2018 एवं 04.01.2023 को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत RRD 14-08-2019 Page No. 480 पेश किये।

4 रेस्पो0 पेरोकार सरकार ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय न्यायोचित होना प्रकट किया।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

5 प्रस्तुत अपील का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा मियाद कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न कर प्रस्तुत अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जाकर गुणावगुण पर निर्णय किये जाने का अनुरोध किया गया। रेस्पो0 पेरोकार सरकार द्वारा प्रार्थना–पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नहीं किया गया और न ही खण्डन में कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलार्थी को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 11/2018 धारा 91 एलआरएक्ट के अन्तर्गत निर्णय दिनांक 03.03.2018 से अपीलार्थी को सम्वत 2074 में वाके ग्राम भोज्याहेडी की आराजी खसरा संख्या 275 की 0.38 है0 भूमि किस्म चारागाह पर फसल गेहूं की काश्त कर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 456/– रूपये शास्ति से दण्डित किये जाने के विरूद्ध प्रथम अपील धारा 75 एलआरएक्ट में न्यायालय जिला कलक्टर, बारां के यहां पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.01.2023 से अपील अपीलार्थी खारिज की गई। प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाजा में अपीलार्थी का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज नहीं था। केवल पटवारी हल्का के बयानों को ही आधार मानकर उक्त दण्डादेश पारित किया गया। राजस्व रिकोर्ड में खसरा सं0 275 की भूमि बंजड़ भूमि दर्ज है तथा उक्त आराजी के लगवा अपीलार्थी अपने सहखातेदारी की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष भी अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा छोड़ दिया हुआ है तथा जुर्माना राशि भी जमा करवा दी है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। अपीलार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की दृष्टि से समुचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया।

7 इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अपीलार्थी को सम्वत् 2073 में अतिक्रमण किये जाने पर प्रकरण सं0 214/17 निर्णय दिनांक 20.03.2017 से अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने पर सम्वत 2074 में खसरा सं0 275 की रकबा 0.38 है0 पर पुनः अतिक्रमी होने पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी मानते हुए निर्णय दिनांक 03.03.2018 से 456/– रूपये शास्ति आरोपित करते हुए 90 दिवस के सिविल कारावास से दण्डित किया गया है, किंतु उक्त निर्णय दिनांक 03.03.2018 में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि अपीलार्थी के द्वारा सम्वत 2073 में कितने रकबे पर अतिक्रमण किया गया था तथा कितनी शास्ति आरोपित की गई थी। साथ ही अपीलार्थी का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय के

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का कोई साक्ष्य एवं दस्तावेज नहीं था। केवल पटवारी हल्का के बयानों को ही आधार मानकर उक्त दण्डादेश पारित किया गया। राजस्व रिकोर्ड में खसरा सं0 275 की भूमि बंजड़ भूमि दर्ज है तथा उक्त आराजी के लगवा अपीलार्थी अपने सहखातेदारी की आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि वादग्रस्त खसरा सं0 275 की रकबा 0.38 है0 आराजी की जमाबंदी उक्त पत्रावली मे उपलब्ध नहीं है, जिसके अभाव में यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त आराजी की किस्म क्या है। ऐसी स्थिति में प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर न्यायालय जिला कलक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 04.01.2023 अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल को इन निर्देशों के साथ प्रेतिप्रेषित किया जाता है कि "ग्राम भोज्याहेडी की आराजी खसरा संख्या 275 की 0.38 है0" पर से अपीलार्थी द्वारा कब्जा हटा लिया हो तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करने बाबत् अपीलार्थी परीक्षण न्यायालय तहसीलदार मांगरोल में शपथ–पत्र पेश कर दे तथा मौके पर उक्त अतिक्रमित भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा नहीं होने की पुष्टि तहसीलदार, मांगरोल स्वयं अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक से करवाये जिसमें यह साबित हो जाए कि अपीलार्थी/अतिक्रमी द्वारा कब्जा छोड़ दिया है तो तहसीलदार मांगरोल के निर्णय दिनांक 03.03.2018 में से 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा शेष आदेश जुर्माना आदि यथावत रहेगा। यदि मौके पर अपीलार्थी का कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास का दण्ड यथावत रहेगा।

8 निर्णय आज दिनांक 12.05.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर, न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे इजलास सुनाया गया।

12/05/25

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा